इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण की शर्ते

1. इच्छुक आपूर्तिकर्ता/अधिकृत बिक्रेता के द्वारा आवेदन पत्र के साथ Formulated and Extruded Floating Fish Feed की भौतिक तथा रसायनिक संरचना, यथा साइज, प्रोटीन की मात्रा (% में) फाईचर की मात्रा (% में) विटामिन का प्रकार, मिनरल मिक्सचर का प्रकार, नमी की मात्रा (% में) आहार संपरिर्वतन दर (FCR). शेल्फ –लाईफ आदि का विवरण देना होगा। उसमें प्रोटीन तथा वसा न्यूनतम निम्नांकित होनी चाहिए।

क्रं0	फीड का प्रकार	फीड का आकार	प्रोटिन की मात्रा (%)	वसा की मात्रा (%)
1	Formulated Floating Fish Feed	0.5-1.0 mm	38-40	5-6
2		1.1-1.5 mm	36-40	5-6
3		1.6-2.0 mm	30-32	4-5
4		3.0 mm	24-26	3-4
5		4.0 mm	24-26	3-4
6		4.0 mm	20-22	2-3

आहार संपरिर्वतन दर (FCR). Low एवं शेल्फ–लाईफ अधिक होना चाहिए।

2. इच्छुक आपूर्तिकर्ता/अधिकृत बिक्रेता को पैन कार्ड की छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ समाग्री का मुहरबन्द नमूना (कम से कम 50 ग्राम का पैकेट पॉलिथिन बैग में) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही समाग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत प्रोक्सिमेंट एनालिसिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक का आयकर रिर्टन देना अनिवार्य होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2019–20 का (GST in) रिर्टन देना अनिवार्य होगा।
6. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में फॉरमुलेटेड फीड आपूर्ति करने का अनुभव विगत एक वर्ष का ब्योरा इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. इच्छुक आपूर्तिकर्ता/अधिकृत बिक्रेता को काली सूची में दर्ज नही होने तथा उनके विरूद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामला दर्ज नही होने का स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ साथ संलग्न सभी प्रतियॉ/छायाप्रतियॉ स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
9. इच्छा की अभिव्यक्ति इच्छुक आपूर्तिकर्ता/अधिकृत बिक्रेता द्वारा दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर "तकनीकी प्रस्ताव" अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनीकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 20,000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से, हजारीबाग में भुगतेय होगा, दूसरे लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण पत्र (दर प्रस्ताव, डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय सहित) रखा जाएगा। इस लिफाफे पर "वित्तीय प्रस्ताव" अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में डालकर "Formulated and Extruded Floating Fish Feed हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति'' लिखकर तथा मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। इकाईयों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा। यदि इच्छुक आपूर्तिकर्ता/अधिकृत बिक्रेता तकनीकी प्रस्ताव में सफल होने बाले इच्छुक आपूर्तिकर्ता/अधिकृत बिक्रेता का ही प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दो में अंकित होना चाहिए। जिस लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण पत्र पर सामग्री का नाम लिखा होना चाहिए एवं संबंधित उपक्रम/आपूर्तिकर्ता की मुहर होनी चाहिए।
10. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता को फीड की आपूर्ति गुणवता आधारित मानको के अनुरूप जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग के कार्यालय अथवा कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थल तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहुँचाकर आपूर्ति करना होगा, गुणवता के मापदंडो के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. यदि सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता किसी कारणवश समाग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाते है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता की प्रतिभूति की राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही दुसरे सफल आपूर्तिकार्त/बिक्रेता को मौका दिया जायेगा।
12. इच्छा की अभिव्यक्ति के उपरांत निर्गत कार्यादेश के प्रतिकूल कार्य होने/इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तो का उल्लंघन अथवा कार्य के दौरान किसी भी तरह के कानूनी विवाद होने की स्थिति में निपटारे हेतु क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय, हजारीबाग का होगा।
13. विभाग हित में इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तो में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सुचना के परिर्वतन करने, इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण की शर्तो में अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने, अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
14. इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक 11.06.2021 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग में स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन मध्यान 12:00 बजे उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। आवेदक स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इच्छा की अभिव्यक्ति में भाग ले सकतें है।

ह0/–
जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
हजारीबाग।